RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

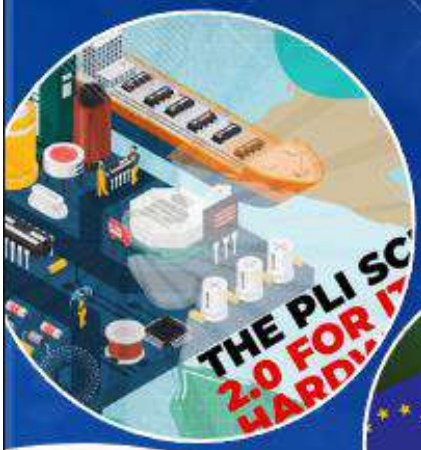

DATE
मार्च
05
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

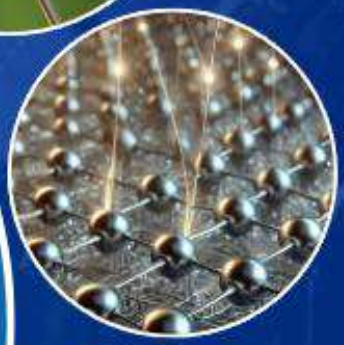

By Ankit Avasthi Sir

पीएलआई 2.0 / PLI 2.0

संदर्भ:

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के पहले चरण में प्रगति देखने के बाद, केंद्र सरकार अब **PLI 2.0 योजना** में संशोधन करने की संभावनाओं की जांच कर रही है।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:

परिचय:

- शुरुआत: अप्रैल 2020 में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और वैश्विक कंपनियों को भारत में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए शुरू की गई।
- शामिल सेक्टर: 14 प्रमुख क्षेत्र, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा, विशेष इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण आदि।
- प्रोत्साहन – अतिरिक्त बिक्री (Incremental Sales) के आधार पर कंपनियों को लाभ दिया जाता है।

मुख्य उद्देश्य:

- घरेलू निर्माण (Manufacturing) को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना।
- मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) और ठेका निर्माताओं (Contract Manufacturers) को आकर्षित करना।
- उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (Global Supply Chains) में भारत की भागीदारी बढ़ाना।
- रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना।

PLI 2.0 में संभावित बदलाव: प्रोत्साहन को घरेलू मूल्य संवर्धन (Domestic Value Addition) और निर्यात वृद्धि (Incremental Exports) से जोड़ा जाएगा।

अब तक की उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ:

- सफल क्षेत्र – मोबाइल फोन, फार्मा, और खाद्य प्रसंस्करण।
- धीमी प्रगति – आईटी हार्डवेयर, उन्नत रसायन (Advanced Chemicals), कपड़ा (Textiles), और विशेष इस्पात (Specialty Steel)।

वर्तमान PLI ढांचे की चुनौतियाँ:

1. **कम मूल्य संवर्धन (Low Value Addition):**
   - प्रमुख क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन अब भी एकल अंकों में सीमित है।
   - घरेलू आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) के गहरे एकीकरण की आवश्यकता है।
2. **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता:**
   - भारत का दूरसंचार (Telecom) और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार छोटा होने के कारण आपूर्ति श्रृंखला स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहन सीमित हैं।
   - अर्धचालक चिप्स (Semiconductor Chips) और प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग में बेहतर सौदे के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन जरूरी है।
3. **आर्थिक पैमाने की कमी (Lack of Economies of Scale):**
   - भारतीय कंपनियां चीनी और वियतनामी कंपनियों की तुलना में छोटी और कम प्रतिस्पर्धी हैं।
   - विदेशी बाजारों तक सीमित पहुंच के कारण भारतीय उत्पादों की कीमत प्रतिस्पर्धा में कमी रहती है।

PLI 2.0 योजना के लिए सिफारिशें:

1. **स्थानीयकरण (Localisation) पर जोर:**
   - घरेलू विनिर्माण (manufacturing) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर अधिक मूल्यवर्धन प्राप्त करना।
   - चीनी निर्माताओं के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करना।
2. **निर्यात को प्रमुख मानक बनाना:**
   - बड़े उत्पादन के लिए निर्यात बाजारों तक पहुंच आवश्यक।
   - निर्यात से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और बाजार दक्षता (market efficiency) सुधरती है।
3. **विदेशी ओईएम (OEMs) की भागीदारी:**
   - स्थापित आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले बड़े OEM घरेलू कंपोनेंट निर्माण को बढ़ावा दे सकते हैं।
   - रणनीतिक विक्रेताओं के साथ बेहतर सौदे कर भारतीय कंपनियों को लाभ दिला सकते हैं।
4. **कंपोनेंट निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार:**
   - समय के साथ घरेलू कंपनियां स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं को आपूर्ति कर सकती हैं।
   - ज्ञान और उत्पादकता का विस्तार पूरे विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करेगा।
5. **वैश्विक सफलता रणनीतियाँ:**
   - **जापान और दक्षिण कोरिया**: विदेशी OEMs की भागीदारी से घरेलू क्षमताओं का विकास किया।
   - **चीन का EV सेक्टर**: टेस्ला की एंट्री का उपयोग कर घरेलू आपूर्तिकर्ताओं (vendors) को अपग्रेड किया, जिससे BYD, Xpeng, Li Auto और Nio जैसे मजबूत ब्रांड उभरे।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत विकलांगता अधिकार मौलिक अधिकार / Disability Rights Under RPwD Act Are Fundamental Rights: SC

संदर्भ:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में **विकलांगता के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार** को एक मौलिक अधिकार के रूप में मानने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

- **सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अनुसार:** "विकलांगता के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार को, जैसा कि **'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016'** (RPwD Act) में मान्यता प्राप्त है, एक मौलिक अधिकार के समान दर्जा दिया जाए, ताकि किसी भी उम्मीदवार को केवल उनकी विकलांगता के कारण विचार से वंचित न किया जाए।"

मामले की पृष्ठभूमि:

- यह मामला **मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 1994** और **राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010** से संबंधित था।
- याचिकाकर्ताओं ने इन नियमों में संशोधन की मांग की ताकि इन्हें **विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016)** के अनुरूप बनाया जा सके।
- उद्देश्य था कि **दृष्टिबाधित उम्मीदवारों** को न्यायिक सेवाओं में **समान अवसर** मिलें और भेदभाव समाप्त हो।

निर्णय के मुख्य बिंदु:

1. **विकलांगता-आधारित भेदभाव के विरुद्ध मौलिक अधिकार:**
   - सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।
   - यह **विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act, 2016)** के अनुरूप है।
2. **निर्णय का प्रभाव:**
   - संबंधित प्राधिकरणों (authorities) को इस फैसले के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए, जिसे **तीन महीने** के भीतर पूरा किया जाना है।
   - **MP नियम, 1994 का नियम 6A** रद्द कर दिया गया क्योंकि इसने **दृष्टिबाधित व्यक्तियों** को शैक्षिक योग्यता के बावजूद न्यायिक सेवा में चयन से बाहर कर दिया था।
   - **नियम 7 की उपधारा**, जिसमें **3 साल की प्रैक्टिस या पहले प्रयास में 70% अंकों** की शर्त थी, को **असंवैधानिक** घोषित कर दिया गया।

न्यायालय द्वारा दिए गए औचित्य:

1. **विकलांग व्यक्तियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई:**
   - न्यायालय ने **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण (Rights-Based Approach)** अपनाने पर जोर दिया।
   - विकलांग व्यक्तियों (PwDs) को केवल भेदभाव से मुक्त रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें **सकारात्मक सहायता** भी दी जानी चाहिए ताकि वे समान अवसर प्राप्त कर सकें।
2. **उचित सुविधा का सिद्धांत:**
   - यह सिद्धांत **अंतर्राष्ट्रीय समझौतों** से प्रेरित है, जो विकलांग व्यक्तियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर **निष्पक्ष मूल्यांकन** सुनिश्चित करता है।
3. **समानता का सिद्धांत (Doctrine of Equality):**
   - न्यायालय ने कहा कि विकलांग उम्मीदवारों पर अतिरिक्त योग्यता थोपना **समानता के सिद्धांत** का उल्लंघन है।
   - **उचित सुविधा के सिद्धांत** को लागू करना आवश्यक है ताकि **अप्रत्यक्ष भेदभाव** को रोका जा सके।

न्यायालय के निर्णय का प्रभाव:

1. **तात्कालिक प्रभाव (Immediate Effects)**
   - दृष्टिबाधित उम्मीदवार अब न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बिना किसी अतिरिक्त बाधा के भाग ले सकते हैं।
   - राज्य सरकारों को नियमों में संशोधन करना होगा ताकि वे **RPwD अधिनियम, 2016** के अनुरूप हों।
2. **दीर्घकालिक प्रभाव (Long-Term Implications)**
   - यह निर्णय **विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को मौलिक अधिकार** के रूप में मान्यता देता है।
   - अन्य सरकारी क्षेत्रों को भी इसी तरह के कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा।
   - **न्यायपालिका और अन्य सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों में समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।**

डॉल्फिन सर्वेक्षण / Dolphin Survey

संदर्भ:

भारत की पहली व्यापक **नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण**, जो **प्रोजेक्ट डॉल्फिन (2020)** के तहत किया गया, ने **गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी घाटियों** में कुल **6,327 डॉल्फिन** की आबादी का अनुमान लगाया है।

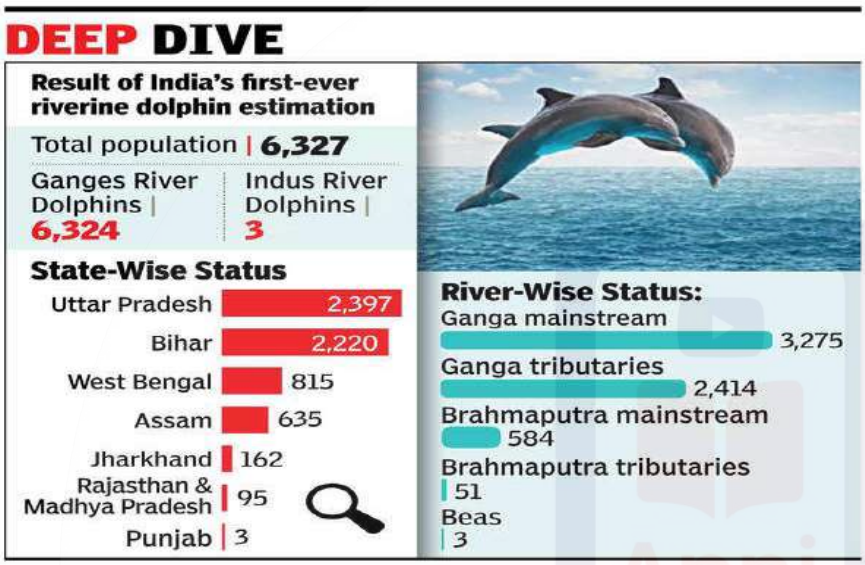

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

1. **गंगा नदी डॉल्फिन की संख्या:**
   - कुल **6,324 गंगा नदी डॉल्फिन** दर्ज की गईं।
   - **इंडस नदी डॉल्फिन** की संख्या केवल **3** पाई गई।
2. **गंगा नदी डॉल्फिन का वितरण:** ये डॉल्फिन गंगा नदी, उसकी सहायक नदियों, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों और ब्यास नदी में पाई गईं।
3. **सर्वेक्षण का नेतृत्व:**
   - यह पहला सर्वेक्षण था, जिसे **भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India) और विभिन्न राज्यों के वन विभागों** ने मिलकर किया।
   - यह सर्वेक्षण **2020 में शुरू किए गए 'प्रोजेक्ट डॉल्फिन'** के अंतर्गत किया गया।
   - अगला सर्वेक्षण **चार वर्षों के बाद** किया जाएगा।
4. **डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या कहां पाई गई?**
   - **उत्तर प्रदेश** (सबसे ज्यादा **चंबल नदी** में)।
   - इसके बाद **बिहार, पश्चिम बंगाल और असम** में भी बड़ी संख्या दर्ज की गई।
5. **ध्वनिक (Acoustic) सर्वेक्षण तकनीक:** शोधकर्ताओं ने नाव से यात्रा करते हुए **ध्वनिक हाइड्रोफोन (Acoustic Hydrophone)** का उपयोग किया।
   - यह उपकरण **डॉल्फिन द्वारा उत्सर्जित ध्वनि तरंगों को पकड़ता है**, जिससे उनकी उपस्थिति और संख्या का पता लगाया गया।

सर्वेक्षण कवरेज:

- आठ राज्यों में 28 नदियों को कवर किया गया, जो 8,507 किलोमीटर तक फैली हुई हैं।

गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में जानकारी:

1. गंगा नदी डॉल्फिन क्या है?

- यह एक **मीठे पानी की नदी डॉल्फिन** है और दुनिया की कुछ गिनी-चुनी नदी डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है।
- इसे **"सुसु"** भी कहा जाता है, क्योंकि यह सतह पर आते समय "सुसु" जैसी आवाज निकालती है।

2. कहां पाई जाती है?

- **गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली-सांगू नदी प्रणालियों** में पाई जाती है।
- भारत, नेपाल और बांग्लादेश की नदियों में मिलती है।
- अपने मूल क्षेत्र के कई हिस्सों से **विलुप्त** हो चुकी है।

3. मुख्य विशेषताएँ:

- **अंधी डॉल्फिन**: इसकी आंखों में लेंस नहीं होता, इसलिए यह **गूंज-स्थानिकी (Echolocation)** के माध्यम से रास्ता खोजती और शिकार करती है।
- यह **मछलियों** का शिकार करती है और मुख्य नदी चैनलों में विपरीत धारा (Counter-current system) वाले क्षेत्रों को पसंद करती है।
- **हर 30-120 सेकंड में सतह पर आती है**, क्योंकि यह पूरी तरह पानी के नीचे नहीं रह सकती।

4. संरक्षण स्थिति और राष्ट्रीय मान्यता:

- **IUCN रेड लिस्ट**: **गंभीर रूप से संकटग्रस्त**
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972**: **अनुसूची-I प्रजाति** (सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त)।
- **राष्ट्रीय जलीय पशु- 2009 में घोषित किया गया**।

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन 'अश्लीलता' के खिलाफ कदम उठाने की मांग / SC seeks measures against 'vulgarity' online

संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से **ऑनलाइन मीडिया में अश्लील सामग्री पर रोक लगाने के लिए सीमित नियमन** लागू करने का आग्रह किया है, साथ ही **कंटेंट क्रिएटर्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** को संरक्षित रखने पर जोर दिया है।

न्यायालय द्वारा हास्य और अश्लीलता पर नियामक उपायों की आवश्यकता:

1. सार्वजनिक शिष्टता और नैतिकता बनाए रखना:

- न्यायालय ने सामाजिक नैतिक मानकों को बनाए रखने और हास्य के नाम पर **अश्लील सामग्री** के प्रसार को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया।
    - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हास्य **परिवार के अनुकूल** होना चाहिए और गंदी भाषा का प्रयोग **प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं** है।

2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग रोकना:

- अदालत ने **स्वतंत्र अभिव्यक्ति** के अधिकार की रक्षा करते हुए **अश्लीलता और विकृति** को रोकने के लिए उचित प्रतिबंधों की आवश्यकता बताई।
    - यूट्यूबर **रणवीर अल्लाहबादिया** पर लगाए गए प्रतिबंधों में संशोधन करते हुए अदालत ने **शालीनता के मानकों** का पालन करने की चेतावनी दी।

3. संवेदनशील दर्शकों की सुरक्षा:

- अदालत ने **नाबालिगों और प्रभावशाली दर्शकों** को अनुचित और आपत्तिजनक हास्य से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

4. रचनात्मकता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन:

- अदालत ने इस बात को रेखांकित किया कि **रचनात्मक हास्य और आपत्तिजनक भाषा** के बीच एक बारीक रेखा होती है, जिसे बनाए रखना जरूरी है।

5. ऑनलाइन प्लेटफार्मों की जवाबदेही सुनिश्चित करना:

- अदालत ने ऑनलाइन प्लेटफार्मों के लिए **नियामक निगरानी** की जरूरत बताई, ताकि वे अपने प्रसारित कंटेंट के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकें।

भारत में डिजिटल सामग्री से जुड़े मौजूदा कानून:

1. आईटी नियम 2021 (IT Rules 2021):

- ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली अनिवार्य।
- इसमें स्व-नियमन (Self-regulation), उद्योग-स्तरीय निगरानी और सरकारी नियंत्रण शामिल है।

2. आईटी अधिनियम की धारा 67 (Section 67 of IT Act):

- **अश्लील सामग्री का ऑनलाइन प्रकाशन या प्रसारण** अपराध माना जाता है।
- **दंड: तीन साल तक की कैद** और जुर्माना।

3. भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS):

- **भारतीय दंड संहिता (IPC)** से जुड़े अश्लीलता और अभद्रता संबंधी प्रावधानों को बरकरार रखता है।
- **सार्वजनिक और डिजिटल प्लेटफार्मों** पर अभद्र सामग्री को रोकने के लिए लागू।

4. महिलाओं के अशोभनीय प्रस्तुतीकरण (निषेध) अधिनियम:

- विज्ञापन, पुस्तकें, फिल्में और डिजिटल मीडिया में महिलाओं की अशोभनीय छवि दिखाने पर रोक।
- **सार्वजनिक सामग्री में नैतिकता** सुनिश्चित करने के लिए लागू।

समाज पर अश्लील हास्य का प्रभाव

1. सामाजिक और नैतिक मूल्यों का क्षरण

- बार-बार अश्लील हास्य देखने से लोग अभद्र भाषा और अनुचित व्यवहार के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं।
- इससे **सामाजिक नियमों और नैतिकता** का ह्रास होता है।

2. युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव: युवा दर्शक ऐसे हास्य की **नकल** करते हैं, जिससे अभद्र भाषा, अपमानजनक व्यवहार और गंभीर मुद्दों के प्रति लापरवाह रवैया विकसित हो सकता है।

3. सार्वजनिक आक्रोश और सामाजिक विभाजन: अश्लील हास्य धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक समूहों को आहत कर सकता है, जिससे समाज में तनाव और ध्रुवीकरण बढ़ता है।

4. संस्थानों के प्रति सम्मान की कमी: सार्वजनिक हस्तियों या सरकारी संस्थानों पर आधारित भद्दे मजाक लोगों के बीच अविश्वास और अनादर को बढ़ावा देते हैं।

5. कानूनी और नियामक परिणाम: अश्लील सामग्री शालीनता और नैतिकता कानूनों का उल्लंघन कर सकती है, जिससे कानूनी कार्रवाई और सेंसरशिप हो सकती है।

सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन / Cities Coalition for Circularity (C-3)

संदर्भ:

भारत ने जयपुर में आयोजित **12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम** में **"Cities Coalition for Circularity"** पहल की शुरुआत की, जिससे शहरी क्षेत्रों में संसाधनों के कुशल पुन: उपयोग और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।

C-3 लॉन्च के मुख्य बिंदु:

1. **घोषणा:** **C-3** का लॉन्च जयपुर में **12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर अर्थव्यवस्था फोरम** के उद्घाटन के दौरान किया गया।
2. **महत्वपूर्ण समझौता:** **CITIIS 2.0** के लिए एक **महत्वपूर्ण समझौता (MoU)** हस्ताक्षरित किया गया, जो **शहरी स्थिरता** की दिशा में एक बड़ा कदम है।
3. **आर्थिक पहल:** **₹1,800 करोड़ के समझौते** घोषित किए गए, जिससे **14 राज्यों के 18 शहरों** को लाभ मिलेगा।
4. **जयपुर घोषणा (2025-2034):**
   - **C-3 फोरम** अगले दशक के लिए **"जयपुर घोषणा"** को अपनाएगा, जो **गैर-राजनीतिक और गैर-बाध्यकारी** होगा।
   - यह **संसाधन दक्षता और सतत शहरी विकास** के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करेगा।

Cities Coalition for Circularity (C-3) के बारे में

1. **परिचय:**
   - **C-3** एक **बहु-राष्ट्रीय गठबंधन** है, जिसका उद्देश्य **शहरों के बीच सहयोग, ज्ञान-साझाकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी** को बढ़ावा देना है।
   - यह **टिकाऊ शहरी विकास (Sustainable Urban Development)** को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।
2. **उद्देश्य:**
   - **नीति निर्माताओं, उद्योग नेताओं, शोधकर्ताओं और विकास भागीदारों** के लिए एक मंच प्रदान करना।
   - **अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management)** और **संसाधन दक्षता (Resource Efficiency)** को लागू करने पर जोर देना।
   - **3R सिद्धांत (Reduce, Reuse, Recycle)** और **सर्कुलर इकोनॉमी** को अपनाना।

क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर अर्थव्यवस्था फोरम

1. **स्थापना:**
   - यह **एशिया-प्रशांत क्षेत्र** में **2009 में शुरू किया गया** एक महत्वपूर्ण मंच है।
2. **उद्देश्य:**
   - **अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन दक्षता, और सर्कुलर अर्थव्यवस्था** को बढ़ावा देना।
   - **तीव्र आर्थिक विकास, संसाधनों की कमी, और बढ़ते कचरे की चुनौतियों** से निपटना।
3. **प्रमुख उपलब्धि:** **हनोई 3R घोषणा (2013-2023)** को अपनाया गया, जिसमें **33 स्वैच्छिक लक्ष्य** निर्धारित किए गए।
4. **2025 फोरम की मुख्य बातें:**
   a. **विषय:** "सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर समाजों का निर्माण।"
   b. **आयोजक:**
      i. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (भारत)
      ii. संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र (UNCRD)
      iii. ग्लोबल एनवायरनमेंटल स्ट्रेटेजीज़ संस्थान (IGES)

सर्कुलर अर्थव्यवस्था (Circular Economy) क्या है?

1. **परिभाषा:**
   - यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें **सामग्री कभी भी बेकार नहीं होती** और **प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्जनन (Regeneration)** किया जाता है।
2. **मुख्य सिद्धांत:**
   - **सामग्री और उत्पादों को पुन: उपयोग में बनाए रखना**, जैसे:
     - **रखरखाव (Maintenance)**
     - **पुन: उपयोग (Reuse)**
     - **मरम्मत (Refurbishment)**
     - **पुनर्निर्माण (Remanufacture)**
     - **रिसाइक्लिंग (Recycling)**
3. **महत्व:**
   - जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक।
   - जैव विविधता की हानि (Biodiversity Loss), कचरा (Waste) और प्रदूषण (Pollution) को कम करता है।
   - आर्थिक गतिविधियों को सीमित संसाधनों की खपत से **अलग करने** में मदद करता है।

नवरत्न दर्जा / Navratna Status

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने दो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों **इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC)** और **इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC)** को **नवरत्न** का दर्जा प्रदान किया है।

नवरत्न का दर्जा (Navratna Status)

1. **परिभाषा:**
   - नवरत्न एक **प्रतिष्ठित दर्जा** है, जो **उच्च प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs)** को दिया जाता है।
   - इससे उन्हें **अधिक निवेश स्वायत्तता (Investment Autonomy) और परिचालन लचीलापन (Operational Flexibility)** मिलता है।
2. **कौन प्रदान करता है?**
   - **वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE)** यह दर्जा प्रदान करता है।
3. **नवरत्न दर्जा प्राप्त करने की पात्रता:**
   - मिनीरत्न-I (Miniratna-I) CPSE होना चाहिए और सकारात्मक नेट वर्थ होनी चाहिए।
   - पिछले पाँच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों तक "उत्कृष्ट" (Excellent) या "बहुत अच्छा" (Very Good) MoU रेटिंग प्राप्त की हो।
   - मुख्य वित्तीय संकेतकों (Financial Indicators) जैसे कि शुद्ध लाभ (Net Profit), नेट वर्थ (Net Worth), और कर्मचारियों की लागत (Manpower Cost) में 60+ अंक प्राप्त करने चाहिए।
   - कम से कम चार स्वतंत्र निदेशक (Independent Directors) बोर्ड में होने चाहिए।

भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC):

- **परिचय:** IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.) भारतीय रेलवे के तहत एक **नवरत्न** सूचीबद्ध कंपनी है।
- **स्थापना:** 27 सितंबर 1999।
- **निगमित मंत्रालय:** रेल मंत्रालय, भारत सरकार।

भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC):

- **परिचय:** IRFC (Indian Railway Finance Corporation) भारतीय रेलवे के लिए **वित्तीय संसाधन जुटाने वाली विशेष इकाई** है।
- **स्थापना:** 12 दिसंबर 1986।
- **दायित्व:** घरेलू और विदेशी पूंजी बाजारों से धन जुटाना।
- **स्थिति:** नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में।

नवरत्न का दर्जा मिलने के लाभ:

1. **वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि:** सरकार की मंजूरी के बिना ₹1,000 करोड़ या कुल निवल मूल्य का 15% तक निवेश कर सकते हैं।
2. **संचालन में स्वतंत्रता:** घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक गठजोड़, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां स्थापित करने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है।
3. **बाजार में विश्वसनीयता:** कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ती है, जिससे निवेशकों, भागीदारों और वित्तीय संस्थानों के लिए आकर्षक बनती है।
4. **रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता:** पूंजीगत व्यय, विलय-अधिग्रहण और मानव संसाधन प्रबंधन में अधिक अधिकार मिलता है।

बोस मेटल / Bose Metal

संदर्भ:

वैज्ञानिकों ने हाल ही में **नियोबियम डिसेलेनाइड ($NbSe_2$)** में **बोस मेटल** नामक संभावित नए पदार्थ की स्थिति की खोज की है। यह अवस्था एक सामान्य धातु और एक सुपरकंडक्टर के बीच पाई जाती है। इस खोज को **चीनी और जापानी वैज्ञानिकों** की एक टीम ने प्रमाणित किया है।

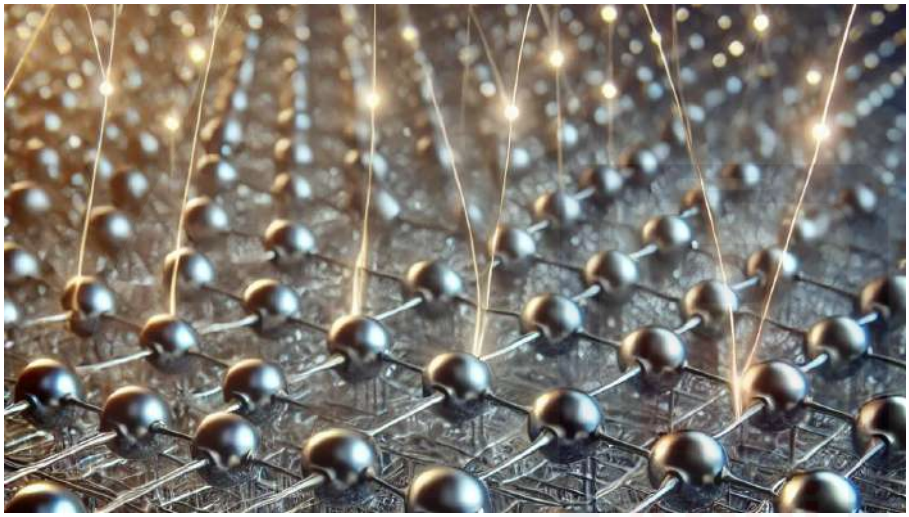

बोस मेटल (Bose Metal) क्या है?

1. **परिभाषा:** यह एक काल्पनिक धात्विक अवस्था है, जहां इलेक्ट्रॉन जोड़े (कूपर पेयर्स) बनते हैं, लेकिन यह अवस्था सुपरकंडक्टिंग नहीं बनती।
2. **स्थिति:** यह सामान्य धातु और सुपरकंडक्टर के बीच की एक मध्यवर्ती अवस्था है, जो पारंपरिक ठोस अवस्था भौतिकी के सिद्धांतों को चुनौती देती है।
3. **मुख्य विशेषताएँ:**
   - इलेक्ट्रॉन **कूपर जोड़े** (Cooper Pairs) में संगठित होते हैं।
   - लेकिन वे दीर्घकालिक समरूपता (Long-Range Coherence) प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे धातु सुपरकंडक्टर बनने में असमर्थ रहता है।
   - इसके कारण सामग्री में **आंशिक विद्युत प्रतिरोध** बना रहता है, जबकि सुपरकंडक्टर में प्रतिरोध शून्य होता है।
4. **वैज्ञानिक अध्ययन:**
   - हाल के प्रयोगों में **नियोबियम डिसेलेनाइड ($NbSe_2$)** जैसी सामग्रियों में इसके अस्तित्व के संकेत मिले हैं।
   - यह अवस्था पतली परतों (Thin Layers) और चुंबकीय क्षेत्रों (Applied Magnetic Fields) के प्रभाव में देखी गई है।

बोस मेटल की प्रमुख विशेषताएँ:

1. **मध्यम अवस्था:** यह धातु (Metal) और अतिचालक (Superconductor) के बीच की अवस्था होती है।
2. **कूपर जोड़ी निर्माण:** इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े (Cooper Pairs) बनते हैं, लेकिन ये अतिचालकता (Superconductivity) प्राप्त नहीं कर पाते।
3. **असामान्य चालकता:** इसकी चालकता सामान्य धातुओं से अधिक होती है, लेकिन यह अतिचालकों की तरह अनंत (Infinite) नहीं होती।
4. **क्वांटम उतार-चढ़ाव:** मजबूत चरण उतार-चढ़ाव (Phase Fluctuations) कूपर जोड़ी की संगति (Coherence) को बाधित करते हैं।
5. **हॉल प्रतिरोध का लोप:** यह दर्शाता है कि चार्ज परिवहन (Charge Transport) व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनों के बजाय कूपर जोड़ों द्वारा होता है।
6. **पतले द्विविमीय पदार्थों में देखा गया:** यह विशेष रूप से अल्ट्रा-थिन (Ultra-thin) अतिचालक फिल्मों में विशिष्ट परिस्थितियों में देखा गया है।

बोस मेटल की सीमाएँ:

1. **कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं:** अभी तक इसका कोई औद्योगिक या तकनीकी अनुप्रयोग नहीं है।
2. **प्रयोगात्मक कठिनाई:** तापमान, मोटाई और चुंबकीय क्षेत्र पर सटीक नियंत्रण की जरूरत, जिसे हासिल करना कठिन है।
3. **अस्पष्ट परिभाषा:** यह एक अलग क्वांटम अवस्था है या संक्रमणकालीन, इसे लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद है।

आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर कर / Taxing Virtual Digital Assets

संदर्भ:

आयकर विधेयक, 2025 में **वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA)** को **संपत्ति और पूंजीगत संपत्ति** के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे वे **पूंजीगत लाभ कराधान** और **नियामक निगरानी** के दायरे में आ गए हैं।

मुख्य प्रावधान:

- **30% कर** VDA के हस्तांतरण पर लगाया जाएगा।
- **1% TDS** प्रत्येक लेनदेन पर लागू होगा।
- **रिपोर्टिंग अनिवार्य** होगी, जिससे **पारदर्शिता** बढ़ेगी और **वित्तीय दुरुपयोग** रोका जा सकेगा।

Virtual Digital Assets (VDAs):

1. **परिभाषा:** वित्त अधिनियम, 2022 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 में खंड 47A जोड़कर VDAs को परिभाषित किया गया।
2. **सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण:** Internet and Mobile Association of India v. RBI मामले में FATF रिपोर्ट का संदर्भ लेकर वर्चुअल करेंसी (VC) को डिजिटल यूनिट के रूप में वर्णित किया, जो विनिमय माध्यम, मूल्य मापक व संग्रहण साधन हो सकती है, लेकिन कानूनी मुद्रा नहीं है।
3. **VDAs की कानूनी व्याख्या:** कोर्ट ने इन्हें संपत्ति, वस्तु या भुगतान माध्यम माना और निष्कर्ष निकाला कि ये अमूर्त संपत्ति (Intangible Property) या वस्तु के रूप में देखे जा सकते हैं।

VDAs पर नया कराधान (Income Tax Bill, 2025)

1. **30% कर जारी रहेगा:**
   - VDA हस्तांतरण से होने वाली आय पर **2022 में लागू किया गया 30% कर** जारी रहेगा।
2. **कटौती की अनुमति नहीं:**
   - केवल **अधिग्रहण लागत (Cost of Acquisition)** की कटौती संभव है।
   - **माइनिंग, लेनदेन शुल्क और प्लेटफ़ॉर्म कमीशन** पर कोई छूट नहीं मिलेगी।
3. **उदाहरण:**
   - यदि कोई व्यक्ति **Ethereum** को ₹5 लाख में खरीदकर ₹7 लाख में बेचता है, तो **₹2 लाख लाभ पर 30% कर लगेगा**।
   - लेनदेन शुल्क सहित अन्य खर्चों पर कोई कर राहत नहीं दी जाएगी।
4. **1% TDS लागू होगा:**
   - **हर VDA ट्रांजैक्शन पर 1% TDS** कटेगा, **P2P लेनदेन** में भी।
   - **छोटे व्यापारियों के लिए सीमा ₹50,000** और अन्य के लिए **₹10,000** है।
5. **अन्य देशों की तुलना:**
   - यह कर प्रणाली **UAE** की तुलना में सख्त है, जहाँ कुछ VDA लाभों पर कर नहीं लगाया जाता।

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) पर कराधान की चुनौतियाँ

1. **समग्र विनियमों की कमी**: कराधान लागू है, लेकिन **बाजार नियमन, निवेशक संरक्षण, और प्रवर्तन** अभी भी कमजोर हैं।
2. **कटौती का अभाव**: अन्य परिसंपत्तियों की तरह **क्रिप्टो निवेशकों को लेनदेन शुल्क, माइनिंग लागत, या कमीशन पर कोई छूट नहीं** मिलती।
3. **उच्च कर भार**: **30% फ्लैट टैक्स** खुदरा निवेशकों और क्रिप्टो स्टार्टअप्स के लिए हतोत्साहित करने वाला है।
4. **जटिल अनुपालन (Compliance Complexity)**: **TDS और रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ** व्यापारियों, एक्सचेंजों और व्यवसायों पर अतिरिक्त भार डालती हैं।
5. **वैश्विक क्रिप्टो प्रवाह**: निवेशक **कम कर वाले देशों में फंड स्थानांतरित कर सकते हैं**, जिससे भारत का संभावित कर राजस्व घट सकता है।

भारत, महत्वपूर्ण खनिजों की खोज / India's Exploration of Critical Minerals

संदर्भ:

भारत ने हाल ही में **ज़ाम्बिया में 9,000 वर्ग किलोमीटर का खनन ब्लॉक** सुरक्षित किया है, जहां **तांबा और कोबाल्ट** का अन्वेषण किया जाएगा। यह पहल **विदेशी खनन विस्तार** का हिस्सा है, क्योंकि देश में इन खनिजों का उत्पादन घट रहा है।

भारत की खनिज संपत्ति अधिग्रहण रणनीति:

1. **ज़ाम्बिया में तांबा-कोबाल्ट खनन**
   - **9,000 वर्ग किमी क्षेत्र** में अन्वेषण के लिए अधिकार सुरक्षित।
   - **भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन (GSI)** द्वारा नेतृत्व, 2-3 वर्षों में खनन अधिकार अपेक्षित।
   - ज़ाम्बिया **तांबे में 7वें और कोबाल्ट में 14वें स्थान (2023)** पर।
2. **अन्य अफ्रीकी देशों से सहयोग**: भारत **कांगो, तंजानिया, मोज़ाम्बिक और रवांडा** में महत्वपूर्ण खनिजों के अधिग्रहण पर कार्यरत।
3. **दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गतिविधियाँ**: खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया में लिथियम व कोबाल्ट संसाधनों की खोज में सक्रिय।
4. **महत्वपूर्ण खनिजों की सूची**: भारत ने **30 महत्वपूर्ण खनिजों** की पहचान की, जिनमें लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (REEs) शामिल हैं।

भारत की तांबा खोज पहल:

1. **घटता घरेलू उत्पादन**
   - **2023-24 में तांबा उत्पादन 3.78 मिलियन टन**, जो **2018-19 की तुलना में 8% कम** है।
   - आयात पर निर्भरता बढ़ी।
2. **ज़ाम्बिया में तांबा-कोबाल्ट अन्वेषण**
   - भारत ने **9,000 वर्ग किमी क्षेत्र** में अन्वेषण अधिकार प्राप्त किए।
   - यह क्षेत्र उच्च-गुणवत्ता वाले तांबे और कोबाल्ट भंडार के लिए प्रसिद्ध।
   - **भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन (GSI)** इस अन्वेषण का नेतृत्व करेगा।

तांबे का महत्व:

1. **रक्षा क्षेत्र में अहम भूमिका**
   - तांबा अमेरिकी रक्षा उद्योग में दूसरा सबसे अधिक उपयोग होने वाला धातु है।
   - 2035 तक मांग आपूर्ति से अधिक होने की संभावना, जिससे खनन और घरेलू उत्पादन की जरूरत बढ़ेगी।
2. **वैश्विक तांबा आपूर्ति स्थिति:**
   - **चीन** के पास **विश्व की लगभग 50% स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग क्षमता** है।
   - चीन अत्यधिक उत्पादन को संतुलित करने के लिए तांबा अयस्क आपूर्ति को नियंत्रित कर रहा है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है।

भारत का विदेशी तांबा रणनीति:

1. घरेलू तांबा उत्पादन में गिरावट:

- तांबा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है।
- 2023-24 में घरेलू उत्पादन 3.78 मिलियन टन रहा, जो 2018-19 की तुलना में 8% कम है।
- हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) का उत्पादन अप्रैल-जनवरी 2023-24 में 6% घटा।

2. आयात पर बढ़ती निर्भरता:

- 2023-24 में ₹26,000 करोड़ के तांबा अयस्क का आयात, जो 2018-19 की तुलना में दोगुना है।
- भारत में बड़ी तांबा खदानें हैं, लेकिन खनन से पहले गहन खोज आवश्यक है।

3. विदेशी विस्तार रणनीति:

- भारत जाम्बिया, चिली और DRC में तांबा खदानें अधिग्रहित कर रहा है।
- ये क्षेत्र उच्च-शुद्धता वाले भंडार और अनुकूल खनन नीतियों के कारण आकर्षक हैं।
- हालाँकि, भू-राजनीतिक जोखिम विदेशी निवेश के लिए चुनौती बने हुए हैं।

स्वावलंबिनी योजना / Swavalambini Scheme

संदर्भ:

स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम 2025 में **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) और नीति आयोग** के सहयोग से शुरू किया गया।

- यह पहल उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) में छात्राओं को उद्यमिता कौशल, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है।

स्वावलंबिनी कार्यक्रम: महिला उद्यमिता को बढ़ावा:

स्वावलंबिनी का उद्देश्य युवा महिलाओं के लिए एक **संरचित और चरणबद्ध उद्यमिता यात्रा** स्थापित करना है। यह कार्यक्रम **उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs)** की छात्राओं में **उद्यमशीलता की भावना** को विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और मानसिकता प्रदान करता है।

स्वावलंबिनी कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ:

1. संकाय विकास कार्यक्रम (FDP):

- HEIs के शिक्षकों को पाँच दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है।
- यह प्रशिक्षण उद्यमिता शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है।

2. परामर्श (Mentorship):

- प्रतिभागियों को व्यवसाय योजना बनाने के बाद उद्योग विशेषज्ञों और सफल उद्यमियों से मार्गदर्शन मिलता है।
- इसमें निम्नलिखित सहायता शामिल है:
  - सरकारी योजनाओं और निजी निवेशकों के माध्यम से वित्तीय सहायता।
  - व्यवसाय जगत के अनुभवी पेशेवरों के साथ नेटवर्किंग अवसर।

3. महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP):

- व्यवसाय योजना, नेतृत्व कौशल और निर्णय लेने की क्षमता का विकास।
- वित्तीय साक्षरता और निवेश रणनीतियों की समझ।
- बाजार अनुसंधान और प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण पर विशेष ध्यान।

स्वावलंबिनी कार्यक्रम युवा महिलाओं को आत्मनिर्भर (Self-Reliant) उद्यमी बनने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करता है।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड / NBWL

संदर्भ:

प्रधानमंत्री ने **गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान** में **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की 7वीं बैठक** की अध्यक्षता की।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL):

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) भारत में **वन्यजीव संरक्षण से संबंधित सर्वोच्च सलाहकार निकाय** है।

मुख्य तथ्य:

- **स्थापना: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** की **धारा 5A** के तहत स्थापित।
- **पुनर्गठन: 2022 में पुनर्गठित**, जिससे **1952 में स्थापित भारतीय वन्यजीव बोर्ड (Indian Board for Wildlife)** को प्रतिस्थापित किया गया।

अध्यक्षता:

- **प्रधानमंत्री (Ex-officio Chairperson)।**
- **उपाध्यक्ष: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (MoEFCC)।**

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) का संरचना और कार्य:

संरचना:

- **कुल सदस्य: 47 सदस्यीय समिति**, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, संरक्षणविद्, पारिस्थितिकीविद् और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल हैं।
- **प्रमुख अधिकारी:** रक्षा सचिव, व्यय सचिव, सेना प्रमुख और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी।
- **सदस्य-सचिव: वन महानिदेशालय (वन्यजीव) के अतिरिक्त महानिदेशक एवं निदेशक, वन्यजीव संरक्षण।**
- **स्थायी समिति (Standing Committee of NBWL):**
  - यह NBWL के अंतर्गत एक छोटी समिति है।
  - **संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas - PAs) में परियोजनाओं की मंजूरी से संबंधित कार्य करती है।**

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

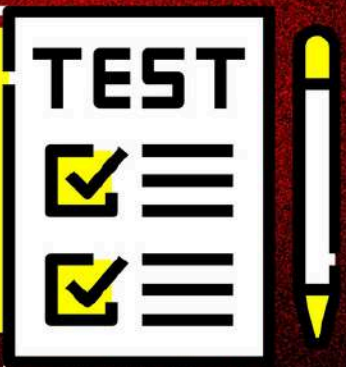

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !